सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस
दिनांक –20.02.2024

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचनाएवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 06 अभियोगों में 12 अभियुक्तगणों को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है –

प्रथम प्रकरण- थाना कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 935/13 (वाद संख्या – 08/2014) धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम अभियुक्तगण 1. कल्लू बाबा पुत्र महीपत सिंह लोधी नि0 कुईयां थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन 2. संजय यादव पुत्र मौजीलाल नि0 तुफैलपुरवा थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी/सीएडब्ल्यू/जीएसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा उपरोक्त समस्त अभियुक्तगण को दोषी पाते हुये 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000-10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय- थाना कोतवाली कोंच में मु0अ0सं0 546/15 धारा 394 भादवि बनाम अभियुक्त छोटू पुत्र वहीद खां नि0 मु0 पत्थर थाना कोतवाली भिण्ड जनपद भिण्ड म0प्र0 के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मान0 एडीजे/ स्पे0 डकैती कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त छोटू उपरोक्त को 08 वर्ष का कठोर कारावास 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण तृतीय- थाना रामपुरा में मु0अ0सं0 36/2002 (वाद संख्या – 321/2003) धारा 324/323/504 भादवि बनाम 1- मूलचरन पुत्र अर्जुन पाल 2- तेज सिंह पुत्र मूलचरन नि0गण ग्राम पचखोरा थाना रामपुरा जनपद जालौन पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय ए.जे.एम. जालौन जनपद जालौन द्वारा उपरोक्त दोनों अभियुक्तगण को जुर्म स्वीकरोक्ति के आधार पर 324/323/504 भादवि में प्रत्येक को 1500-1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण चतुर्थ- थाना माधौगढ में मु0अ0सं0 05/98 (वाद संख्या – 194/1998) धारा 427/504 भादवि बनाम 1-दीपू पुत्र श्रीप्रकाश चन्द्र 2-राजकुमार पुत्र नबाब 3-रामराजा शर्मा पुत्र रामदयाल शर्मा नि0गण ग्राम हैदलपुरा थाना माधौगढ जनपद जालौन पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय ए.जे.एम. जालौन जनपद जालौन द्वारा 03 अभियुक्तगण को 427/504 भादवि में प्रत्येक को 1,000-1,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण पंचम- थाना रामपुरा में मु0अ0सं0 29/1995 (वाद संख्या – 408/1995) धारा 323/504/506 भादवि बनाम 1- -दिनेश पुत्र मूलचन्द्र 2- पातीराम धुनू नि0गण ग्राम टिहर थाना रामपुरा जनपद जालौन पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय ए.जे.एम. जालौन जनपद जालौन द्वारा उपरोक्त दोनों अभियुक्तगण को जुर्म स्वीकरोक्ति के आधार पर 323/504/506 भादवि में प्रत्येक को 1500-1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण षष्टम- थाना माधौगढ में मु0अ0सं0 40/2007 (वाद संख्या – 205/2008) धारा 323/504/506 भादवि बनाम 1-सत्यभान सिंह उर्फ झल्लू 2-राजाबाबू पुत्रगण जनक सिंह नि0गण ग्राम अकबरपुरा थाना माधौगढ जनपद जालौन पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय ए.जे.एम. जालौन जनपद जालौन द्वारा दोनों अभियुक्तगण को 323/504/506 भादवि में प्रत्येक को 1500-1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।